



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण  
INSURANCE REGULATORY AND  
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

संदर्भ: आईआरडीएआई/एनएल/ओआरडी/एमओटीपी/051/03/2019

Ref: IRDA/NL/ORD/MOTP/051/03/2019

28.03.2019

आदेश  
ORDER

**विषय: मोटर अन्य पक्ष देयता बीमा रक्षा(कवर) के लिए प्रीमियम दरें**  
**Re: Premium Rates for Motor Third Party Liability Insurance Cover**

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए भारतीय मोटर अन्य पक्ष (थर्ड पार्टी) देयता बीमा रक्षा के लिए प्रीमियम दरों के संबंध में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के आदेश संदर्भ: आईआरडीए/एनएल/ एनटीएफएन/ एमओटीपी/ 053/03/2018 दिनांकित 28 मार्च, 2018 की ओर संदर्भ आकर्षित किया जाता है।

एतद्वारा यह भी अधिसूचित किया जाता है कि आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अनुच्छेद 14(2) (i) के अन्तर्गत प्राधिकरण में निहित अधिकारों के आधार पर, आईआरडीए उपरोक्त आदेश में निर्धारित प्रीमियम दरों की वैधता को, अगली सूचना तक 31 मार्च, 2019 के आगे बढ़ाता है।

अन्य शब्दों में, बीमाकर्ता 1 अप्रैल, 2019 से मोटर अन्य पक्ष देयता बीमा रक्षा के लिए वर्तमान में जारी किए गए दरों को अगले आदेशों तक जारी रखेंगे।

Reference is drawn to Order of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) bearing Ref: IRDA/NL/NTFN/MOTP/053/03/2018 dated 28<sup>th</sup> March, 2018 on Premium Rates for Motor Third Party Liability Insurance Cover for FY 2018-19.

It is hereby notified that by virtue of powers vested in the Authority under Section 14 (2) (i) of IRDA Act, 1999, the IRDAI hereby extends the validity of premium rates set out in the aforementioned Order beyond 31<sup>st</sup> March, 2019, until further notice.

In other words, insurers shall continue to charge the rates currently being charged for Motor Third Party Liability Insurance Cover from 1<sup>st</sup> April, 2019 onwards until further orders.

(यज्ञप्रिया भरत / YEGNAPRIYA BHARATH)

मुख्य महा प्रबंधक (गैर-जीवन) / CHIEF GENERAL MANAGER (NON-LIFE)